न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
हकियत वाद–157 / 2014

फुलगमिया देवी......................................वादी

बनाम

योगी महतो वगैरह..प्रतिवादीगण

आदेश

09.12.22 अभिलेख आज वादीगण की ओर से प्रतिस्थापन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–23.09.2022 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस आवेदन का कोई प्रत्युत्तर प्रतिवादीगण की ओर दाखिल नहीं है।

अपने आवेदन में वादीगणों ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–1 योगी महतो की मृत्यु दिनांक–26.08.2022 को आवेदनांकित विधिक उत्तराधिकारियों को छोड़कर हो गई है। अतः उनके स्थान पर आवेदनांकित पक्षकारों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–1 योगी महतो वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार हैं जिनकी मृत्यु दिनांक–26.08.2022 को होना अभिकथित है। आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित एवं समय–सीमा के भीतर है। अतः न्यायहित में वादीगणों द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–1 का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर आवेदनांकित विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।**

वाद दिनांक– 03-02-2023 वास्ते उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी।